न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 35/2016

बुधराम पुत्र हरिसिंह जाति नायक निवासी ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राज्य सरकार जरिये उपखंड मजिस्ट्रेट खेतड़ी।

– रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश कमांक न्याय/हथि. लाई./15/1844–1891
दिनांकित 14.9.2015 द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट खेतड़ी।

उपस्थितिः–

1. श्री मनोज वर्मा एडवोकेट –––––––– अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,राजकीय अभिभाषक ––––– रेस्पोंडेंटस की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 11.8.2020

उक्त उनवानी अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के आदेश कमांक न्याय/ हथि. लाई./ 15 /1844–1891 दिनांकित 14.9.2015 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पास एक टोपीदार बंदूक न 226 है, जो पूर्व में लाईसेंसशुदा थी। करीबन 10 साल पहले जब उक्त बंदूक लाईसेंस अवधि समाप्त होने को आई तो अपीलांट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष अपना मूल लाईसेंस जमा करवा लाईसेंस रिन्यू करवाने के लिये आवेदन किया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अपीलांट का मूल लाईसेंस दफतर से गुम हो गया और उसे तलासने की कारवाई के नाम पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कर्मचारी साल दर साल निकालते हुये अपीलांट को इंतजार करवाते रहे जिससे बंदूक का लाईसेंस रिन्यू नहीं हो सका। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी बदलते रहे एवं अपीलांट सभी के समक्ष अपनी समस्या के निवारण हेतु निवेदन करता रहा, किंतु कार्यालय द्वारा प्रशासनिक चुनावी व राजस्व कार्यों में व्यस्तता बता कर साल दर साल निकालते हुये साल 2015 तक लाईसेंस बाब कोई कार्यवाही नहीं की। अतं में दिनांक 14.9.2015 को अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

क्रमांक न्याय/हथि./ 15 / 1844–1891 दिनांकित 14.9.2015 के द्वारा अपीलांट का लाईसेंस गलत रूप से लाईसेंस नवीनीकरण कराने में विफल रहने वाले डिफाल्टर व्यक्तियों की सूची में अपीलांट को डालकर निरस्त कर दिया जबकि अपीलांट ने अपना लाईसेंस रिन्यू का आवेदन तो स्वयं अदालत मातहत के कर्मचारियों की गलती के कारण करीबन 6–7 साल से पंडिग चला आ रहा था। उक्त आदेश का ज्ञान होने पर अपीलांट ने अदालत मातहत क समक्ष हाजिर होकर उज्र किया तो पीठासीन अधिकारी ने अपीलांट के मामले में उक्त तथ्य ज्ञान में नहीं होना जाहिर कर अपीलांट के विरूद्ध गलती से आदेश पारित कर दिया जाना कहा तथा उचित कारवाई का आश्वासन दिया और अंत में फरवरी 2016 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी ने अपीलांट को पुनः लाईसेंस हेतु नया आवेदन करने के लिए कहा जिस पर दिनांक 17.2.2016 को पुनः नया आवेदन भी कर दिया जिसमें तहसीलदार एवं पुलिस थाना खेतड़ी द्वारा जांच रिपोर्ट भी अपीलांट के पक्ष में सकारात्मक आयी। इसके बाद भी कोई रिलीफ अपीलांट को नहीं दी गई और दिनांक 28.6.16 का जिला मजिस्ट्रेट से प्रत्युतर आने तक इंतजार करना कहा। फिर निवेदन करने पर अदालत मातहत ने आश्वासन देकर अपीलांट को लाईसेंस हेतु विहित फीज जमा करवाने के लिए कहा तो 5000/–रूपये जरिये ईचालान दिनांक 13.6.2018 पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के कार्यालय में जमा करवा दिया। चालान फीस जमा करवाने के बाद भी अपीलांट को लाईसेंस जारी नहीं किया गया तो अपीलांट ने दिनांक 30.7.2018 को लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया जिस पर उसी रोज उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी ने अपने आदेश दिनांक 14.9.2015 से स्वयं को आबद्ध होना बताकर लाईसेंस जारी करने से इंकार कर दिया और पहले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर आदेश क्रमांक न्याय/हथि. लाई./15/1844–1891 दिनांक 14.9.2015 को निरस्त करवा कर लाने को कहा जिस पर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलांट के विरूद्ध पारित अदालत मातहत द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के आदेश क्रमांक न्याय/हथि./लाई./15/1844–1891 दिनांकित 14.9.2015 को अपीलांट के विरूद्ध निरस्त फरमाकर अदालत मातहत को अपीलांट के वर्णित शस्त्र का नियमानुसार लाईसेंस जारी किया जाने का अदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– अपीलांट ने अपने हथियार का लाईसेंस नवीनीकरण के लिए निर्धारित समय पर आवेदन पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के स्टाफ की लापरवाही के कारण अपीलांट का मूल लाईसेंस दफतर से गुम हो गया और उसे तलासने की कारवाई के नाम पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कर्मचारी साल दर साल निकालते हुये अपीलांट को इंतजार करवाते रहे जिससे बंदूक का लाईसेंस रिन्यू नहीं हो सका। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी बदलते रहे एवं अपीलांट सभी के समक्ष अपनी समस्या के निवारण हेतु निवेदन करता रहा, किंतु कार्यालय द्वारा प्रशासनिक चुनावी व राजस्व कार्यों में व्यस्तता बता कर साल दर साल निकालते हुये साल 2015 तक लाईसेंस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। अतं में दिनांक 14.9.2015 को अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश क्रमांक न्याय/हथि./15/1844–1891 दिनांकित 14.9.2015 के द्वारा अपीलांट का लाईसेंस गलत रूप से लाईसेंस नवीनीकरण कराने में विफल रहने वाले डिफाल्टर व्यक्तियों की सूची में अपीलांट को डालकर निरस्त कर दिया जबकि अपीलांट ने अपना लाईसेंस रिन्यू का आवेदन तो स्वयं अदालत मातहत के कर्मचारियों की गलती के कारण करीबन 6–7 साल से पेंडिग चला आ रहा था। अपीलांट ने 5000/–रूपये फीस भी जमा करवा दिये इसके बावजूद भी उसका लाईसेंस जारी करने से इंकार कर दिया और पहले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर आदेश क्रमांक न्याय/हथि. लाई./15/1844–1891 दिनांक 14.9.2015 को निरस्त करवा कर लाने को कहा जिस पर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलांट के विरूद्ध पारित अदालत मातहत द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के आदेश क्रमांक न्याय/हथि./लाई./15/1844–1891 दिनांकित 14.9.2015 को अपीलांट के विरूद्ध निरस्त फरमाकर अदालत मातहत को अपीलांट के वर्णित शस्त्र का नियमानुसार लाईसेंस जारी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हथियार लाईसेंस धारियों को नवीनीकरण की अवधि बीत जाने के उपरान्त भी नवीनीकरण नहीं करवाने के कारण उनके हथियार लाईसेंस निरस्त किये गये है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट का कथन कि उसने अपने हथियार लाईसेंस का नवीनीकरण कराने के लिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष निर्धारित अवधि के अन्दर ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जो उनके स्टाफ द्वारा मूल लाईसेंस ही खो

48
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

जाने के कारण देरी हुई है, अपीलांट ने हथियार लाईसेंस की फीस भी 5000/– जमा करवा दी थी। अपीलांट के कथनों की पुष्टि उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के पत्रांक न्याय/आर्म्स/16/610 दिनांक 28.6.2016 एवं रसीद क्रमांक 23449678 दिनांक 13.6.2018 से साबित है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । उपखण्ड मजिस्ट्रेट खेतड़ी के आदेश क्रमांक न्याय/हथि. लाई./15/1844–1891 दिनांक 14.9.2015 को निरस्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि अपीलांट के हथियार लाईसेंस को बहाल किया जाकर नियमानुसार नवीनीकरण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

11.08.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू